

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 85B/2016-17

बिहारी महतो बनाम विजय प्रताप महतो

:: आदेश ::

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07/18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता बिहारी महतो पिता स्व० छुटू महतो, ग्राम-हिदीबिली, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता विजय प्रताप महतो, पिता-स्व० हेमेन्द्र महतो, ग्राम-आसनबनी, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अद्यतन हेतु वापस किया गया परंतु कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं किया गया। साथ ही आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।